राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 3187/2023

डॉ. सीमा शर्मा **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग ग्रुप—2, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षक, राजकीय हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय, शास्त्रीनगर जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.11.2023

आदेश की दिनांक : 29.11.2023

<u>उपस्थित —</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री नवीन निठारवाल, अभिभाषक

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अपील में यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को जुलाई 2022 से नवम्बर 2023 तक का बकाया वेतन का भुगतान एवं आगामी निरंतर माह के वेतन दिए जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.07.2022 से जयपुर से उप जिला चिकित्सालय ब्यावर जिला अजमेर में स्थानान्तरण किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने मानीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2740/2022 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 18.08.2022 के द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.07.2022 के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया तथा अपीलार्थी को वही पर कार्यरत रखा जाने के आदेश दिया गया

जब से अपीलार्थी अधिकरण के आदेश की पालना में उक्त स्थान पर ही निरंतर कार्यरत है। माननीय अधिकरण द्वारा उक्त अपील को आदेश दिनांक 22.07.2023 के द्वारा स्वीकार कर निस्तारित कर दी गई है परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से कार्यग्रहण करवा लिया गया लेकिन वेतन आहरण नहीं किया गया जिसके क्रम में अपीलार्थी ने कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये परन्तु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी दिनांक 31.07.2024 को सेवानिवृत्त होने जा रहे है परन्तु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जो सेवा नियमों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को जुलाई 2022 से नवम्बर 2023 तक का बकाया वेतन का भुगतान एवं आगामी निरंतर माह के वेतन दिए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.07.2022 से जयपुर से ब्यावर जिला अजमेर में स्थानान्तरण किया गया था जिसके विरूद्ध अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 18.08.2022 के द्वारा स्थानान्तरण आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया तथा आदेश दिनांक 22.07.2023 के द्वारा अपील स्वीकार कर निस्तारित कर दी गई, जब से अपीलार्थी अधिकरण के आदेश की पालना में उक्त स्थान पर ही निरंतर कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को अधिकरण के आदेश की पालना में कार्यग्रहण करवाने पश्चात निरंतर सेवाऐं अपीलार्थी से लेने उपरान्त जुलाई 2022 से नवम्बर 2023 तक वेतन भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.07.2022 एवं अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.08.2022 तथा दिनांक 22.08.2023 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश को स्थगित करते हुए अपास्त किया जा चुका है और अपीलार्थी स्थगन आदेश जारी करने उपरान्त कार्यग्रहण भी कर चुका है जिसके पश्चात भी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन भुगतान नहीं किया गया जो राजस्थान सेवा नियामें के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को नियमानुसार जुलाई, 2022 से नवम्बर, 2023 तक का बकाया वेतन का भुगतान वर्तमान पद से अथवा किसी भी अन्य रिक्त पद से किया जावे। इस आदेश की पालना 10 दिवस में की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य